

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक 04 जुलाई, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार के पत्र संख्या-261/लेखा/2019-20 दिनांक 15.06.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202-03-102-06-संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में प्राविधानित धनराशि रुपये 15000.00 हजार (रुपये एक करोड़ पचास हजार ~~लाख~~) को संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/03(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त मद की धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2019 में दिये गये निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुवेल एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन भी कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए वह स्वीकृत है। अन्य मदों में कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

4. उक्त मद से धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्बन्धित मद में अवशेष धनराशि के सम्पूर्ण व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं तदपश्चात कार्यपरिषद् का नियमानुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6. इस शासनादेश के संलग्नक को कम्प्यूटर आई0डी0 से जनरेट किया गया है, जिनकी अलोटमेंट आई0डी0 संख्या-H19070110005 दिनांक 02 जुलाई, 2019 है।

7. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/03(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 54) (1)/XLII-1/2019-06(03)2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विभाग, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
5. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(अरुण कुमार)
अनु सचिव।



IFMS
Uttarakhand

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
HOD-Director Sanskrit Education(4624)
Treasury-Haridwar(6500)
DDO-District Education Officer Haridwar(4506)

आवंटन पत्र संख्या -06(03)2019

आवंटन आई डी-H19070110005

अनुदान संख्या-011

आवंटन पत्र दिनांक-02-JUL-2019

लेखा शीर्षक

2202-सामान्य शिक्षा

03-University and Higher Education

102-विश्वविद्यालयों को सहायता

06-संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

00-संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना

Voted

2	2	0	2	0	3	1	0	2	0	6	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता				0	15000000	0	15000000					
योग				0	15000000	0	15000000					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.1,50,00,000 (Rupees One Crore Fifty Lacs Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER

2. उक्त मद की अनुदानों का आवंटन पिछले दिनों 29.03.2019 में किए गए निर्देशों के अनुसार ही किया जा रहा है। इस संबंध में निर्देशों द्वारा निर्धारित बजट में आवंटन एवं वित्त विभाग द्वारा समायोजन एवं परामर्श किए गए अनुदानों का अनुपालन भी कराई जा किता जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3. उक्त अनुदानों का उपयोग जारी रूप में किया जाएगा जिसके लिए यह स्वीकृत है। अन्य बातों में कदापि धारणा नहीं किया जाएगा।

4. उक्त मद से अनुदानों का उपयोग करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध तंत्र में उपलब्ध अनुदानों के समूची व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो उपलब्ध कराया जाएगा।

5. उक्त अनुदानों का उपयोग करने से पूर्व सर्वप्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों पर अनुदान प्राप्त किया जाएगा।

6. उक्त अनुदानों के संबंध में उक्त आईडी नं. H19070110005 दिनांक 02 जुलाई, 2019 है।

7. उक्त आवंटन वित्त विभाग में उपलब्ध संख्या-254/03(450)-2019/2202(1) /2019 दिनांक 29.03.2019 में निर्दिष्ट प्रविष्टिगत अतिरिक्त के अधीन निर्देश किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथापरि।